# अनुदान संख्या 85 – सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग
# GRANT No. 85–DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

| | | | | कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्व:** | **Revenue:** | | | | | |
| *प्रभारित-* | *Charged–* | | | *80,00* | *54,35* | *–25,65* |
| *वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि* | *Amount surrendered during the year* | | | | | *शून्य Nil* |
| स्वीकृत- | Voted– | | | | | |
| मूल | Original | 12003,90,00 | | 12165,78,00 | 11830,16,03 | –335,61,97 |
| पूरक | Supplementary | 161,88,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 22,38,42 |
| **पूंजीगत:** | **Capital:** | | | | | |
| *प्रभारित-* | *Charged–* | | | | | |
| *मूल* | *Original* | *6,70,00* | | *7,20,00* | *6,93,85* | *–26,15* |
| *पूरक* | *Supplementary* | *50,00* | | | | |
| *वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि* | *Amount surrendered during the year* | | | | | *शून्य Nil* |
| स्वीकृत- | Voted– | | | | | |
| मूल | Original | 12674,48,00 | | 12674,49,00 | 12498,69,60 | –175,79,40 |
| पूरक | Supplementary | 1,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 110,47,00 |

***टीका और टिप्पणियां***

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (33561.97 लाख रु.) मार्च, 2008 मे प्राप्त किए गए 16188.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

***Notes and comments***

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.33561.97 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.16188.00 lakhs obtained in March, 2008 and constituted 3 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं | Major Head "3451" Secretariat - Economic Services | | | | | |
| मू. | O. | 5328.00 | | 4802.68 | 4688.70 | –113.98 |
| पु. | R. | –525.32 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र | Major Head "2552" North Eastern Areas | | | | | |
| मू. | O. | 700.00 | | . . | . . | . . |
| पु. | R. | – 700.00 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "3054" सड़क तथा सेतु | Major Head "3054" Roads and Bridges | | | | | |
| मू. | O. | 930174.00 | | 950220.36 | 947302.39 | –2917.97 |
| पू. | S. | 16188.00 | | | | |
| पु. | R. | 3858.36 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "3055" सड़क परिवहन | Major Head "3055" Road Transport | | | | | |
| मू. | O. | 6000.00 | | 4900.00 | 4738.22 | –161.78 |
| पु. | R. | –1100.00 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments | | | | | |
| मू. | O. | 252452.00 | | 249686.54 | 225176.72 | –24509.82 |
| पु. | R. | –2765.46 | | | | |

| | | | | कुल अनुदान<br>Total grant | वास्तविक व्यय<br>Actual expenditure | बचत-<br>Saving– |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (लाख रुपयों में)<br>(In lakhs of rupees) |
| शीर्ष<br>मुख्य शीर्ष ''3602''<br>संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान | Head<br>Major Head "3602"<br>Grants-in-aid to Union Territory Governments | | | | | |
| मू. | O. | 5736.00 | | 4730.00 | 1110.00 | –3620.00 |
| पु. | R. | –1006.00 | | | | |

(I) 1317.00 लाख रु. का प्रावधान पाँच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1067.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.1317.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.1067.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधीन सड़क निर्माण कार्य'' - 700.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "2552" - "Strategic and Border Roads – Road Works – Road Works under BRDB" – Rs.700.00 lakhs – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''संघ राज्य क्षेत्र की योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान - पांडिचेरी में सड़कें'' - 367.00 लाख रु. पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(B) Major Head "3602" - "Grants for Union Territory Plan Schemes - Grants from Central Road Fund - Roads in Pondicherry" – Rs.367.00 lakhs – due to non-receipt of proposal from the Union Territory Government of Pondicherry.

(II) मुख्य शीर्ष ''3054'' - ''राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य-सीमा सड़क स्कंध द्वारा रख-रखाव'' के अंतर्गत 2006.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3006.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत करने में विलंब होने के कारण 303.99 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "3054" - "National Highways – Road Works - Maintenance by Border Roads Wing" - the original provision of Rs.2006.00 lakhs was augmented to Rs.3006.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.303.99 lakhs - due to delay in acceptance of proposal by the competent authority.

(III) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय'' के अंतर्गत 639.30 लाख रु. की बचत (5328.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त

(III) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Road Transport and Highways" - saving of Rs.639.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5328.00 lakhs) was due to non-

पदों के न भरे जाने और कम्प्यूटर प्रणालियों की अधिप्राप्ति न किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3054'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''राष्ट्रीय राजमार्ग'' -

(क) ''मशीनरी और उपस्कर - मशीनरी और उपस्करों का रख-रखाव'' - 133.92 लाख रु. की बचत (154.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से रख-रखाव के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने और महालेखाकारों द्वारा क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालयों को विलंब से लेखे प्रस्तुत किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''सड़क निर्माण कार्य -राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण'' - 168.98 लाख रु. की बचत (190.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने के कारण हुई।

(खा) ''जिला और अन्य सड़कें - सडक निर्माण कार्य - केंद्रीय सड़क निधि से बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान'' -569.00 लाख रु. की बचत (619.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) ''सामान्य - अनुसंधान और विकास - राजमार्ग अनुसंधान'' - 945.20 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान परियोजनाओं के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3055'' - ''अनुसंधान - सड़क सुरक्षा'' के अंतर्गत 968.17 लाख रु. की बचत (5200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ''माडल ड्राइवर प्रशिक्षण विद्यालय'' स्कीम को पुन: प्रवर्तित किए जाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

filling up of vacant posts, non-procurement of computer systems and economy measures.

(IV) Under Major Head "3054" – savings occurred under the following heads:-

(A) "National Highways" –

(a) "Machinery and Equipment - Maintenance of Machinery and Equipments" - saving of Rs.133.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.154.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments for maintenance and delay in submission of accounts to Regional Pay and Accounts Offices by Accountant Generals.

(b) "Road Works - National Highways Tribunals" - saving of Rs.168.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.190.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(B) "District and Other Roads - Road Works - Grants from Central Road Fund to U.T. Governments without legislature" - saving of Rs.569.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.619.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the Union Territory Governments without legislature.

(C) "General - Research and Development – Highway Research" - saving of Rs.945.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for research projects.

(V) Under Major Head "3055" – "Research - Road Safety" - saving of Rs.968.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5200.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for reviving "Modal Drivers Training School" scheme.

(VI) Under Major Head "3601" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''योजनेतर अनुदान - सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य'' -

(क) ''सुरक्षा कवच पर व्यय'' - 213.69 लाख रु. की बचत (2032.29 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुरक्षा कवचों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) ''हवाई ढुलाई प्रभार'' - 377.62 लाख रु. की बचत (803.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हवाई ढुलाई प्रयासों की कम संख्या होने के कारण हुई।

(खा) ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान - राजकीय सड़क के लिए अनुदान'' - 19926.03 लाख रु. की बचत (151145.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) ''केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान - अंतर्राष्ट्रीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़क'' - 3522.91 लाख रु. की बचत (16493.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा अंतर राजीय संपर्क सड़क और आर्थिक महत्व वाली सड़कों की परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''राजकीय राजमार्ग (सड़क एवं सेतु) - अन्य अनुदान - आर्थिक महत्व की सड़कें'' - 6000.00 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उड़ीसा में डुबुरी-ब्रह्मनीपाल हरीचंदपुर-नारनपुर केवंजर रोड़ और जम्मू एवं कश्मीर में मुगल रोड़ के लिए परियोजना अनुमानों/भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष ''3602'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''संघ राज्य क्षेत्र की योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान - दिल्ली में सड़कें'' - 3519.00

(A) "Non Plan Grants – Strategic and Border Roads – Road Works" -

(a) "Expenditure on Security Cover" – saving of Rs.213.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2032.29 lakhs) was due to less requirement of security covers.

(b) "Air Lift Charges" - saving of Rs.377.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.803.00 lakhs) was due to less number of air lift efforts.

(B) "Grants for State Plan Schemes - Grants from Central Road Fund - Grants for State Road" - saving of Rs.19926.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.151145.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments.

(C) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(a) "Grants from Central Road Fund - Road of Inter-State or Economic Importance" - saving of Rs.3522.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16493.00 lakhs) was due to non-finalisation of projects by State Governments for Road of Inter-State connectivity and Roads of Economic Importance.

(b) "State Highways (Roads & Bridges) - Other Grants - Roads of Economic Importance" - saving of Rs.6000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to non-finalisation of Project estimates/land acquisition for Durbari-Brahmanipal-Harichandapur-Naranpur, Kevnjar Road in Orissa and Mughal Road in Jammu and Kashmir.

(VII) Under Major Head "3602" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Grants for Union Territory Plan Schemes - Grants from Central Road Fund - Roads in Delhi"

लाख रु. की बचत (4469.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान - अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कें'' - 740.00 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VIII) दो शीर्षों के अंतर्गत 156.34 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 60 प्रतिशत और 96 प्रतिशत थीं।

2.(1) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (5055.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''3054'' - ''राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - सड़क स्कंध द्वारा रख-रखाव'' के अंतर्गत 16188.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि वास्तविक अधिक व्यय 3285.12 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदानें - सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य'' - के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधीन सड़क निर्माण कार्य'' - 1007.92 लाख रु. का अधिक व्यय (46644.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामान्य स्टाफ सड़कों पर पुन: सतह बिछाने और स्थायी निर्माण कार्यों के लक्ष्यों के अधिक होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) ''सड़क रख-रखाव'' - 1826.85 लाख रु. का अधिक व्यय (18566.71 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सतह बिछाने के लिए उच्च लक्ष्य रखे जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*26.15 लाख रु.*) मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए

- saving of Rs.3519.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4469.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Union Territory of Delhi.

(B) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Grants from Central Road Fund – Roads of Inter-State or Economic Importance” – saving of Rs.740.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from the Union Territory Governments.

(VIII) Under two heads savings of Rs.156.34 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 60 percent and 96 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.5055.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.16188.00 lakhs under Major Head “3054” – “National Highways – Road Works – Maintenance by Roads Wing”. Actual excess, however, was Rs.3285.12 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “3601” – “Non Plan Grants – Strategic and Border Roads – Road Works” - under the following heads:-

(A) “Road Works under BRDB” - excess of Rs.1007.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.46644.00 lakhs) was due to higher targets of surfacing and permanent works on General Staff Roads and re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) “Road Maintenance” - excess of Rs.1826.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.18566.71 lakhs) was due to higher targets for surfacing.

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings *(Rs.26.15 lakhs)*

*50.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* का 52 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत *विनियोग* का 4 प्रतिशत थीं।

constituted 52 percent of the supplementary *appropriation* of *Rs.50.00 lakhs* obtained in March, 2008 and 4 percent of the total sanctioned *appropriation.*

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष ''5054'' सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges | | | | |
| *मू.* | *O.* | *670.00* | *720.00* | *693.85* | *–26.15* |
| *पू.* | *S.* | *50.00* | | | |

(I) ''सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधीन निर्माण कार्य'' के अंतर्गत *70.00 लाख रु.* के मूल *विनियोग* को *50.00 लाख रु.* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *120.00 लाख रु.* कर दिया गया तथापि, जो मोटरवाहन दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित पंचाट/निर्णयों को मूर्त रूप न लेने के कारण *18.75 लाख रु.* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Strategic and Border Roads – Road Works – Works under BRDB" – the original *appropriation* of *Rs.70.00 lakhs* was augmented to *Rs.120.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.50.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.18.75 lakhs* – due to non-materialisation of awards/ verdicts relating to Motor Accident Claims Tribunal.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/ अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

4. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas | | | | |
| मू. | O. | 106524.00 | . . | . . | . . |
| पु. | R. | –106524.00 | | | |

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष ''5054'' सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges | | | | |
| मू. | O. | 1116204.00 | | | |
| पू. | S. | 1.00 | 1212002.00 | 1205469.60 | –6532.40 |
| पु. | R. | 95797.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष ''7075'' अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज | Major Head "7075" Loans for Other Transport Services | | | | |
| मू. | O. | 44720.00 | 44400.00 | 44400.00 | . . |
| पु. | R. | –320.00 | | | |

(I) 106524.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''4552'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of Rs.106524.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under Major Head "4552" – under the following heads:-

(का) ''राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़कें और सेतु) - सड़क निर्माण कार्य - सड़क स्कंध और सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधीन सड़क विकास कार्य'' - 106024.00 लाख रु.; और

(A) "National Highways (Roads and Bridges) – Road Works - Road Development works under Roads Wing and BRDB" – Rs.106024.00 lakhs; and

(खा) ''राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़कें और सेतु) - मशीनरी और उपस्कर - मशीनरियों की अधिप्राप्ति'' - 500.00 लाख रु.।

(B) "National Highways (Roads and Bridges) – Machinery and Equipment – Procurement of Machineries" - Rs.500.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष ''5054'' - ''राष्ट्रीय राजमार्ग'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "5054" – "National Highways" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''मशीनरी और उपस्कर - मशीनरी और उपस्कर'' - 329.47 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ड्रम मिश्रण संयत्रा और हाइड्रोलिक उत्खनक की अधिप्राप्ति के बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Machinery and Equipment - Machinery and Equipment" – saving of Rs.329.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-receipt of bills for procurement of Drum Mix Plant and Hydraulic Excavator.

(खा) ''स्थायी सेतु - राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी सेतु शुल्क निधि से वित्तपोषित कार्य'' - 2841.49 लाख रु. की बचत (9000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Permanent Bridges - Work Financed from National Highways Permanent Bridges Fees Fund" – saving of Rs.2841.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(III) मुख्य शीर्ष ''7075'' - ''सड़कें और सेतु - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (बाह्य रूप से सहायता प्राप्त स्कीम)'' के अंतर्गत 320.00 लाख रु. की बचत (44720.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी प्रक्रिया की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "7075" - "Roads and Bridges – Loans to Public Sector and Other Undertakings – National Highway Authority of India (externally aided schemes)" - saving of Rs.320.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.44720.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to slow pace of expenditure.

5. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (97770.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मार्च, 2008 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और मुख्य शीर्ष ''5054'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत और अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

5. The above savings were partly (Rs.97770.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2008 and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under Major Head "5054" - under the following heads:-

(का) ''राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य'' -

(क) ''सड़क स्कंध के अधीन निर्माण कार्य'' - 12891.00 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 11773.86 लाख रु. था।

(ख) ''पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम'' - 71000.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 65153.27 लाख रु. था।

(खा) ''सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधीन निर्माण कार्य'' - 13879.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 15508.43 लाख रु. था।

(A) "National Highways - Road Works" –

(a) "Works under Roads Wing" – Rs.12891.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.11773.86 lakhs.

(b) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas" – Rs.71000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.65153.27 lakhs.

(B) "Strategic and Border Roads – Road Works – Works under BRDB" – Rs.13879.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.15508.43 lakhs.

6. ***केन्द्रीय सड़क निधि:-***

इस निधि का वित्तपोषण कर लगाए गए मोटर स्पिरिट ( विमानन स्पिरिट को छोड़कर) पर लगाए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क से प्राप्त आय के एक भाग (3.5 पैसे प्रति लीटर) द्वारा किया जाता है जिसे संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों के रूप में भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। 2000-2001 के बजट प्रावधान के अनुसार सड़कों के विकास और रख-रखाव के लिए 2 जून, 1998 से पेट्रोल पर और 1 मार्च, 1999 से हाई स्पीड डीजल पर 1/- रु. प्रति लीटर का अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है। यह अतिरिक्त निधि पुनर्संशोधित केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरित की जाती है और इस निधि के संकल्प के अनुसार संसद द्वारा स्वीकृत अनुदान में से सड़कों के विकास और अनुसंधान स्कीमों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जारी की जाती है।

*वर्ष 2007-2008 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:-*

6. ***Central Road Fund:-***

The fund is financed from part (3.5 paise per liter) of the proceeds of Union Excise and Customs Duties levied on taxed motor spirit (other than aviation spirit) credited to the Consolidated Fund of India by way of grants voted by Parliament. As per the budgetary provisions of 2000–2001 an additional tax of Re. 1/- per liter has been levied on Petrol with effect from 2nd June, 1998 and High Speed Diesels with effect from 1st March, 1999 for the development and maintenance of roads. This additional fund is transferred to Central Road Fund in accordance with revamped Central Road Fund Act, 2000 and releases are made from the Fund to State Governments and Administration of Union Territories for development of roads and research schemes out of grant voted by Parliament in accordance with the resolution of this Fund.

*The Account of the Fund for 2007–2008 was as follows:-*

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

| | | |
|---|---|---|
| अथशेष | Opening Balance | 3765,61,90 |
| प्राप्तियां | Receipts | 8280,31,00 |
| अदायगियां | Payments | 7994,55,06 |
| अंतशेष | Closing Balance | 4051,37,84 |

7. ***राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि:-***

ये शुल्क राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ऐसे स्थायी पुलों जिनकी प्रत्येक की लागत 25.00 लाख रु. से अधिक और 100.00 लाख रु. तक है और जो 1 अप्रैल, 1976 को या उसके बाद परन्तु मार्च, 1992 की पहली तारीख से पहले यातायात के लिए खोल दिए गए थे, का उपयोग करने वाले यंत्रचालित वाहनों पर लगाए जाते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने 100.00 लाख रु. से अधिक की लागत वाले सभी पुलों पर लगाए जाने वाले शुल्क के संग्रहण के लिए अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा उगाहे गए शुल्कों से होने वाली आय पहले भारत की समेकित निधि में जमा कर दी जाती है। इन्हें संसद

7. ***National Highways Permanent Bridges Fees Fund:-***

The fees are levied on mechanically propelled vehicles using permanent bridges on National Highways which cost more than Rs.25.00 lakhs and upto Rs.100.00 lakhs for each and were built and opened to traffic on or after 1st April, 1976 but before the first day of March, 1992 and there after all the bridges costing more than Rs.100.00 lakhs on National Highways, shall be notified separately for levy of fee collection. The proceeds from the fees which are collected in the States and Union Territories Governments are initially credited to the Consolidated Fund of India. These are transferred to the "National

द्वारा स्वीकृत अनुदानों में से भारत के लोक लेखे में "राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि'' को अंतरित कर दिया जाता है । संग्रहित राशि के संग्रहण प्रभार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन (12 प्रतिशत पर) को देय होते हैं जिन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों द्वारा निधि में से भी उपलब्ध कराया जाता है। शेष निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया जाता है।

*वर्ष 2007-2008 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:-*

Highways Permanent Bridges Fees Fund" in the Public Accounts of India out of grants voted by Parliament. Collection charges payable to State Governments and Administration of Union Territories (at 12 percent) of the amount collected are also made out of fund by way of grants voted by Parliament. The balance in the Fund is utilised for development of National Highways.

*The Account of the Fund for 2007-2008 was as follows:-*

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

| | | |
|---|---|---|
| अथशेष | Opening Balance | 323,03,45 |
| प्राप्तियां | Receipts | 80,00,00 |
| अदायगियां | Payments | 61,58,51 |
| अंतशेष | Closing Balance | 341,44,94 |